



छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल

पुराना नर्सिंग हास्टल, डी.के.एस. परिसर, रायपुर, छत्तीसगढ़
(website:- www.cgncr.org, Email id – snrc.cg@gmail.com, phone:- 0771-2227600)



क्रमांक/रजि० नर्सिंग कां०/निरीक्षण/2025/3185

रायपुर, दिनांक 03/10/2025

// आदेश //

छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन पर निरीक्षणकर्ता के अभिमत के आधार पर कोर कमीटी के स्कुटनी एवं अनुशंसा उपरांत शासन द्वारा आबंटित सीट अनुसार निम्न उल्लेखित संस्थाओं को शैक्षणिक सत्र 2025-26 की मान्यता निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम एवं पता	बी.एस.सी. नर्सिंग सीट संख्या सत्र 2025-26 हेतु	रिमार्क
1	मां मंगला नर्सिंग कॉलेज, भरेंगाभाठा चौक के पास, पुराना धमतरी रोड, ग्राम- राखी, पोस्ट खोपरा, तह. अभनपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)	60	नवीन प्रस्ताव
2	सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग पिरदा चौक, तुमगांव, महासमुंद (छ.ग.)	60	नवीन प्रस्ताव
3	रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा श्रीराम ग्रामीण विकास संस्थान साईं दरबार रोड, महादेव घाट रायपुरा, रायपुर (छ.ग.)	30	सीट वृद्धि उपरांत
4	हार्दिक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, राजकुमार कॉलेज गेट के सामने जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)	40	पुनः निरीक्षण उपरांत

नियम एवं शर्त:-

- नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुरूप प्रशिक्षण सुविधायें, प्रशिक्षण हेतु भवन/छात्रावास एवं स्टॉफ की व्यवस्था रखनी होगी।
- संस्था को छ.ग. नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल से मान्यता प्राप्त करने के 06 माह के भीतर अधिनियम के धारा 13 के तहत भारतीय उपचर्या परिषद् को नियमानुसार निरीक्षण के लिए आवेदन करना होगा।
- संस्था का वार्षिक निरीक्षण, छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा प्रतिवर्ष तथा औचक निरीक्षण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा मापदंड अनुसार संस्था संचालित नहीं पाये जाने की स्थिति में, अनुमति निरस्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त नियमानुसार अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।
- यदि किराये का भवन है तो संस्था द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद् के नियमानुसार (03 से 06 वर्ष के अंतराल में) भवन निर्माण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, अन्यथा भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित जुर्माना एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।
- संस्था द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम एवं भारतीय उपचर्या परिषद् के नियमों/मापदंडों का पालन किया जाना अनिवार्य है।
- केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश/पठन-पाठन इत्यादि के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों का संस्था द्वारा पालन किया जाना अनिवार्य है।

7. शिक्षण शुल्क छ.ग. शासन के नियमानुसार फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रभावी होगी।
8. यह आदेश शैक्षणिक सत्र 2025-26 (एक वर्ष) के लिए प्रभावी होगा।

अध्यक्ष, छ.ग. नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल सह संचालक, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा अनुमोदित



रजिस्ट्रार

छ.ग. नर्सिंग रजि. काउन्सिल
रायपुर (छ.ग.)

पृ.कमांक/रजि० नर्सिंग कां०/निरी./2025/.....

रायपुर, दिनांक/...../2025

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवायें, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, स्वास्थ्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, स्वास्थ्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. क्लेक्टर, (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
7. कुलसचिव, पं. दीन दयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, उपरवारा, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
8. सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय, की ओर सूचनार्थ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला की ओर सूचनार्थ।
10. उपरोक्तानुसार समस्त संबंधित नर्सिंग महाविद्यालयों/प्रशिक्षण केन्द्रों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

11

रजिस्ट्रार

छ.ग. नर्सिंग रजि. काउन्सिल
रायपुर (छ.ग.)